[2023] 4 एस सी आर 133

/

सौन्दराजन

बनाम

राज्य प्रतिनिधि. पुलिस सतर्कता विरोधी दल के निरीक्षक द्वारा

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1592) अप्रैल 17,2023

/

[अभय एस**.** ओका और राजेश बिंदल**,** जे**.** जे**.]**

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:धारा 7, 13(1)(घ), आर/डब्ल्यू 13 (2)-अवैध संतुष्टि-अपीलार्थी-उप-पंजीयक ने शिकायतकर्ता-पीडब्लू 2 से पंजीकृत बिक्री विलेख-दायर शिकायत-जाल बिछाने और छाया गवाह पीडब्लू-3 की उपस्थिति में रिश्वत लेते हुए अपीलार्थी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए Rs.500 की संतुष्टि की मांग की-हालाँकि, शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया-निचली न्यायालय ने दोषी ठहराया और अपीलार्थी को धारा 7 और एस के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा सुनाई। 13(2) आर/डब्ल्यू एस।13(1)(घ)-उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:एस को आकर्षित करने के लिए।7, संतुष्टि की मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा एक उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए-यह धन की एक साधारण मांग नहीं है, लेकिन यह संतुष्टि की मांग होनी चाहिए-तथ्यों पर, शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया-अपनी जांच में मुख्य रूप से, उसने अपीलकर्ता द्वारा की गई मांग के बारे में कुछ नहीं कहा-पीडब्लू-3 ने यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता ने पीडब्लू-2 से अपनी उपस्थिति में संतुष्टि की एक विशिष्ट मांग की-संतुष्टि की मांग का कोई परिस्थितिजन्य सबूत नहीं-इस प्रकार, दंडनीय अपराध यू/एस।7 और एस।13(2) आर/डब्ल्यू एस।13(1)(घ) स्थापित नहीं-इसके अलावा, आरोप तय करने में चूक या त्रुटि थी, जिससे बरी होने का कारण बन सकता है-इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.464।

/

/

/

/

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:एस. 464-फ्रेम में चूक या अनुपस्थिति या चार्ज में त्रुटि का प्रभाव-आयोजितःएस के अंतर्गत 464, आरोप विरचित करने में चूक या प्रभार में कोई त्रुटि कभी भी घातक नहीं होती है, जब तक कि न्यायालय की राय में, न्याय की विफलता वास्तव में इसके कारण नहीं हुई है-तत्काल मामला एक उचित आरोप तैयार करने में चूक का है, और जो भी आरोप बनाया गया है वह स्वयं दोषपूर्ण है-हालांकि, उक्त चूक के कारण, आरोपी ने बचाव के अपने अधिकार के संबंध में पूर्वाग्रह नहीं किया है।

/

/

133

134 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

/

नीरज दत्ता बनाम राज्य **(**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार**) 2022** एस**.** सी**.** सी**.**

ऑनलाइन एससी **1724-**पर भरोसा किया गया।

मोहन सिंह बनाम बिहार राज्य (2011) 9 एससीसी 272; भारत संघ बनाम पूर्व जीएनआर अजीत सिंह (2013) 4 एससीसी 186 -

संदर्भित किया गया।

/

संदर्भित निर्णय

(2011) 9 एससीसी **272**

उल्लेख किया गया है

पैरा **8**

(2013) 4 एस**.** सी**.** सी **186**

उल्लेख किया गया है

पैरा **8**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1592।

/

2012 के सी. आर. एल. ए. एम. डी. सं. 140 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. बालाजी, एम. पी. पार्थिबन, दुव्वुरी सुब्रमण्य भानू, सुश्री शालिनी मिश्रा, राजा राजेश्वरन एस., अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., शोभित द्विवेदी, सुश्री वैदेही रस्तोगी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

अभय एस. ओका, जे. फैक्ट्स

1. अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'पीसी अधिनियम') की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 7 और धारा 13 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।अपीलार्थी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2, 000/-।उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय से अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है।

/

2. अपीलार्थी तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कन्निवाडी में उप-पंजीयक का पद संभाल रहा था।शिकायतकर्ता एम. सुंदरमूर्ति (पीडब्लू-2) ने 16.05 सेंट की जमीन खरीदी थी।तदनुसार, 12 जुलाई 2004 को, अपीलार्थी के समक्ष बिक्री विलेख प्रस्तुत किया गया था जो संबंधित कार्यालय में उप-पंजीयक था।शिकायतकर्ता और उसके विक्रेता मौजूद थे।शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में बताए गए मामले के अनुसार, बिक्री विलेख ए प्राप्त करने के अलावा

/

/

135

आई. एन. एस. पी. द्वारा सौन्दराजन बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस वी. आई. जी. एंटीकॉरप्शन डिंडीगुल [अभय एस. ओका, जे.] ए.

Rs.880 के स्टाम्प पेपर पर टाइप करके, उन्होंने बिक्री विलेख के पंजीकरण शुल्क के लिए Rs.190 की राशि का भुगतान किया।अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि की रसीद जारी की गई थी।16 जुलाई 2004 को, जब शिकायतकर्ता अपीलार्थी के कार्यालय गया, तो उसे संबंधित सरकारी कार्यालय से एफएमबी स्केच लाने के लिए सूचित किया गया।शिकायतकर्ता के अनुसार, 31 जुलाई 2004 को उक्त रेखाचित्र उनके द्वारा तैयार किया गया था।रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाने के

बाद, अपीलार्थी ने उसे सूचित किया कि उसे स्थल का दौरा करना होगा।तदनुसार, शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के लिए परिवहन की व्यवस्था की ताकि वह स्थल का दौरा कर सके।भूमि पर पेड़ों को देखने के बाद, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को संबंधित कार्यालय से एक टोपो स्केच प्राप्त करने का निर्देश दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि भूमि बिक्री का विषय खेती योग्य है।इसके बाद, शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए और उन्हें 6 अगस्त 2004 को सुबह 11.30 पर अपीलार्थी को सौंप दिया।शिकायतकर्ता के अनुसार, उस समय, अपीलार्थी ने पंजीकृत बिक्री विलेख सौंपने के लिए Rs.500 की संतुष्टि की मांग की।चूंकि शिकायतकर्ता संतुष्टि देने को तैयार नहीं था, इसलिए 11 अगस्त 2004 को उसने भ्रष्टाचार रोधी इकाई के पुलिस निरीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई।

/

/

/

3. शिकायत के आधार पर, 12 अगस्त 2004 को एक जाल बिछाया गया, जो असफल रहा। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 13 अगस्त 2004 को फिर से जाल बिछाया गया था। यह सफल रहा, और छाया गवाह माइकल (पीडब्लू-3) की उपस्थिति में, अपीलार्थी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

/

4. अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों से पूछताछ की।मंजूरी आदेश को साबित करने के लिए पीडब्लू-1 N.Dhanam जेयान की जांच की गई।जैसा कि पहले कहा गया है, पीडब्लू-2 M.Sundaramoorthy शिकायतकर्ता है और पीडब्लू-3 माइकल छाया गवाह है।अपीलार्थी द्वारा की गई कथित माँग को साबित करने के लिए कोई अन्य गवाह प्रासंगिक नहीं है। शिकायतकर्ता (पीडब्लू-2) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया।अपीलार्थी ने बचाव पक्ष के दो गवाहों, एस. कथिरेसन और कलाइसेल्वी से उस कार्यालय की लेखा परीक्षा रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पूछताछ की जिसमें अपीलार्थी काम कर रहा था और पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा जारी एक परिपत्र, जिसमें उप-पंजीयक को उसके मूल्यांकन का पता लगाने के लिए बिक्री विलेख के भूमि विषय का दौरा करने की आवश्यकता थी।

/

/

प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री S.Nagamuthu ने प्रस्तुत किया कि इस संबंध में कोई आरोप नहीं विरचित गया था

6 अगस्त 2004 और 13 अगस्त 2004 को की गई मांगें।विशेष न्यायालय द्वारा विरचित गए पहले आरोप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि आरोप 12 जुलाई 2004 को की गई कथित मांग के बारे में है जब बिक्री विलेख दर्ज किया गया था।उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, बिक्री विलेख के पंजीकरण के समय 12 जुलाई 2004 को कोई मांग नहीं की गई थी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरोप में इस भौतिक दोष और कथित रूप से 6 अगस्त 2004 और 13 अगस्त 2004 को की गई मांग के संबंध में एक उचित आरोप तैयार करने में चूक के कारण, अपीलार्थी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, जो ठीक से अपना बचाव नहीं कर सका।

/

6. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि, किसी भी स्थिति में, शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था, और छाया गवाह (पीडब्लू-3) ने यह बयान नहीं दिया कि उसकी उपस्थिति में शिकायतकर्ता को बिक्री विलेख वापस करने के लिए अपीलार्थी द्वारा Rs.500 की राशि की कोई मांग की गई थी।उन्होंने आग्रह किया कि धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध को मांग के प्रमाण के बिना नहीं बनाया गया था।उन्होंने आग्रह किया कि चूंकि धारा 7 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनाया गया था, इसलिए धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत अपराध भी स्थापित नहीं किया गया था।

/

/

7. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील डॉ. जोसेफ अरस्तू ने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 464 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') को देखते हुए, आरोप तय करने में कोई दोष या चूक अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा उक्त चूक या न्याय की विफलता के कारण कोई पूर्वाग्रह स्थापित नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है।

/

8. उन्होंने मोहन के मामलों में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया।

सिंह बनाम बिहार राज्य **1** और भारत संघ बनाम पूर्व जी**.** एन**.** आर**.** अजीत सिंह **2**।

/

विद्वान वकील ने अंत में संविधान के एक निर्णय पर भरोसा किया

नीरज दत्ता बनाम राज्य **(**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार**)** के मामले में पीठ **3**

यह प्रस्तुत करने के लिए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी संतुष्टि की मांग स्थापित की जा सकती है।

माँग के प्रमाण पर खोज

/

9. हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने की स्थापना के लिए

1 (2011) 9 एससीसी 272 2 (2013) 4 एससीसी 186

3 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1724 ए

/

137

आई. एन. एस. पी. द्वारा सौन्दराजन बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस वी. आई. जी. एंटीकॉरप्शन डिंडीगुल [अभय एस. ओका, जे.] ए.

पी. सी. अधिनियम के अनुसार, संतुष्टि की मांग और संतुष्टि की स्वीकृति का प्रमाण अनिवार्य है। इसके अलावा, नीरज दत्ता 3 के मामले में संविधान पीठ ने दोहराया है कि पी. सी. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान केवल मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण पर लागू किया जा सकता है, अर्थात्, अभियुक्त द्वारा संतुष्टि की मांग और उसकी स्वीकृति।

/

10. जैसा कि पहले कहा गया है, शिकायतकर्ता पीडब्लू-2 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है।अपीलार्थी द्वारा की गई मांग के बारे में उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कुछ नहीं कहा है। लोक अभियोजक ने पीडब्लू-2 से जिरह की।गवाह ने कहा कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की कोई मांग नहीं की गई थी।उनके अनुसार, उन्होंने बिक्री विलेख की वापसी में देरी के कारण शिकायत दर्ज कराई थी।हालाँकि पीडब्लू-2 ने स्वीकार किया कि उसने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जिरह में, उसे शिकायत के भौतिक भागों से सामना नहीं करना पड़ा जिसमें उसने बताया था कि कथित मांग कैसे की गई थी।लोक अभियोजक को शिकायत में अपने कथित पूर्व बयानों के साथ गवाह का सामना करना चाहिए था और शिकायत के उस हिस्से को संबंधित पुलिस अधिकारी

के माध्यम से साबित करना चाहिए था, जिन्होंने शिकायत को लिखित रूप में कम कर दिया था। हालांकि ऐसा नहीं किया गया।

/

/

11. अब, हम छाया गवाह (पीडब्लू-3) के साक्ष्य की ओर मुड़ते हैं।जाँच-इन-चीफ में, उन्होंने कहा कि अपीलार्थी ने पीडब्लू-2 से पूछा कि क्या वह राशि लेकर आया है।पीडब्लू-3 ने यह नहीं कहा कि अपीलार्थी ने पीडब्लू-2 से अपनी उपस्थिति में संतुष्टि की एक विशिष्ट मांग की थी।पी. सी. अधिनियम की धारा 7 को आकर्षित करने के लिए, संतुष्टि की मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित करना होगा।धारा 7 में उपयोग किया गया शब्द, जैसा कि 26 जुलाई 2018 से पहले मौजूद था, 'संतुष्टि' है।संतुष्टि की मांग होनी चाहिए।यह पैसे की साधारण मांग नहीं है, बल्कि यह संतुष्टि की मांग होनी चाहिए।यदि संतुष्टि की मांग और उसकी स्वीकृति का तथ्य साबित हो जाता है, तो धारा 20 के अंतर्गत अनुमान लगाया जा सकता है, और न्यायालय यह मान सकता है कि मांग किसी भी आधिकारिक कार्य को करने के लिए एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में होनी चाहिए।अभियुक्त द्वारा इस धारणा का खंडन किया जा सकता है।

/

/

/

12. इस मामले में संतुष्टि की मांग का कोई परिस्थितिजन्य प्रमाण नहीं है।इन परिस्थितियों में, धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 7 और धारा 13 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध स्थापित नहीं किए गए हैं।जब तक मांग और स्वीकृति दोनों स्थापित नहीं हो जाते हैं, तब तक धारा 13 (1) (डी) के खंड (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले भ्रष्ट साधनों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अपराध साबित नहीं किया जा सकता है।

/

एक प्रोपर चार्ज बनाने में विफलता का प्रभाव

13. हमें अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए एक अन्य तर्क पर विचार करना चाहिए।यह धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उचित आरोप तय करने में विफलता के बारे में है।प्रभार का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

/

“आप, कन्निवाड़ी, डिंडीगुल जिले में उप-पंजीयक के रूप में 27.10.2003 से 27.10.2003 तक काम कर रहे हैं और इस तरह आप एक लोक सेवक हैं, आपने सुंदरमूर्ति द्वारा खरीदी गई भूमि के 16.05 सेंट की बिक्री विलेख को 12.07.2004 पर पंजीकृत किया और सुंदरमूर्ति से Rs.500 की राशि की मांग की-पंजीकृत दस्तावेज को वापस करने के लिए कानूनी पारिश्रमिक के अलावा संतुष्टि के रूप में और Rs.500 भी प्राप्त किया-रिश्वत के रूप में, इसलिए आपने दंडनीय अपराधों का खुलासा किया।7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और इस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य। "

/

/

14. इस प्रकार, विशेष न्यायालय ने 6 और 13 अगस्त 2004 को अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से की गई मांग और 13 अगस्त 2004 को उसकी स्वीकृति पर एक विशिष्ट आरोप तैयार करने को छोड़ दिया।

15. सी. आर. पी. सी. की धारा 464 अंतर्गत आरोप तय करने में चूक या आरोप में कोई त्रुटि कभी भी घातक नहीं होती है, जब तक कि न्यायालय की राय में, वास्तव में न्याय की विफलता का कारण नहीं बनता है।इस मामले में, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई पीडब्लू-3 और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने 6 अगस्त 2004 को की गई पहली कथित मांग और उसके बाद 13 अगस्त 2004 को की गई कथित मांग और स्वीकृति के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले को स्पष्ट रूप से समझा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक उचित आरोप विरचित करने में चूक का मामला है, और जो भी आरोप विरचित किया गया है, वह स्वयं दोषपूर्ण है।हालाँकि, उक्त चूक या दोष के कारण, जहाँ तक बचाव के अपने अधिकार का संबंध है, अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह नहीं था। इसलिए, इस मामले में, आवेश को फ्रेम करने में चूक और/या आवेश को फ्रेम करने में त्रुटि घातक नहीं है।

/

/

/

16. हम पाते हैं कि इस मामले में आरोप बहुत ही लापरवाही से विरचित किया गया है।जब आरोप तय करने की बात आती है तो विचारण न्यायालयों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी दिए गए मामले में, ऐसी किसी भी त्रुटि या चूक से रिमांड के आदेश के कारण बरी होने और/या मुकदमे में लंबी देरी हो सकती है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पारित किया जा सकता है।

/

आई. एन. एस. पी. द्वारा सौन्दराजन बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस वी. आई. जी. एंटीकॉरप्शन डिंडीगुल [अभय एस. ओका, जे.]

/

विचारण न्यायालय के कर्तव्य के अलावा, लोक अभियोजक का भी कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे, और यदि उचित आरोप नहीं लगाया जाता है, तो यह उसका कर्तव्य है कि वह उचित आरोप विरचित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करे।

17. अपील की अनुज्ञात है।आक्षेपित निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है, और अपीलार्थी को उसके खिलाफ कथित अपराधों से बरी कर दिया जाता है। अपीलार्थी के जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः यश चव्हाण और तमन्ना, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/